दिनांक 22.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 281/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 22.05.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर इकाई** द्वारा मो0 अहरार निवासी ग्राम थितकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर से आटा चक्की के 06 किलोवॉट कनेक्शन कराने व सर्वे सही कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री मुकेन्द्र कुमार के नेतृत्व में कार्यालय विद्युत विभाग निकट लालवाला रोड देवबन्द सहारनपुर से **एस0डी0ओ0 दिनेश कुमार मौर्या (विद्युत विभाग देवबन्द देहात द्वितीय सहारनपुर)** पुत्र उमाशंकर मौर्या निवासी ग्राम व पोस्ट वीरासापुर थाना कोतवाली सदर जनपद मिरजापुर **2-संविदाकर्मी मो0 शाकिर (विद्युत विभाग देवबन्द सहारनपुर)** पुत्र मो0सलीम निवासी मोहल्ला लहसवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर **20 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 22.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 282/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सदर बाजार

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 21.05.2026 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माधवग्रीन के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरूण कुमार उर्फ पंकज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा, वाराणसी, जनपद फिरोजाबाद, बरेली, हाथरस व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरूण कुमार उर्फ पंकज निवासी मुक्कु बजरिया थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।

जनपद अमेठी/थाना जगदीशपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 22.05.2026 को थाना जगदीशपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना जगदीशपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवा निवासी रामगंज थाना जामो जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद इटावा/थाना बकेवर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली धातु (20 ग्राम)–सफेद धातु (200 ग्राम)**
- **चोरी के 06 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 22.05.2026 को थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला बरी विशुनामई तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवारबदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सागर उर्फ शिवम 2–मोनू घायल हो गये, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली धातु (20 ग्राम)–सफेद धातु (200 ग्राम), चोरी के 06 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सागर उर्फ शिवम के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानो में हत्या का

प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग, अभियुक्त मोनू के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सागर उर्फ शिवम निवासी गिहार नगर कॉलोनी कस्बा व थाना भरथाना जनपद इटावा।

2–मोनू निवासी गिहार नगर कॉलोनी कस्बा व थाना भरथाना जनपद इटावा।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के पीली धातु (20 ग्राम)–सफेद धातु (200 ग्राम)।

2–चोरी के 06 हजार रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

- **<u>जनपद रायबरेली/थाना ऊंचाहार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना ऊंचाहार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सन्तलाल उर्फ नान भईया को आजीवन कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद ललितपुर/थाना बानपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद ललितपुर द्वारा थाना बानपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामराजा उर्फ भज्जू को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना नरही (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना नरही पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दीनानाथ को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना बडौत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/376घ भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सलाऊ 2–इमरान को 20–20 वर्ष के कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना दुद्धी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना दुद्धी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/323/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामप्यारे को 10 वर्ष के कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————